डायरी संख्या 4520 /फ०के०सिं०विद्
दिनांक 01/10/21 लखनऊ

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(अनुश्रवण एवं मूल्यांकन)
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः /प्र0अ0/अनु0 एवं मूल्यां0/अनिमं-5/सिंनिक/16-एस0एस0 लखनऊ दिनांकः 29 सितम्बर, 2021

कार्यालय-ज्ञाप

प्रदेश के सर्वांगीण विकास में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है और उसमें नहरों का रख-रखाव सबसे प्राथमिकता में होता है, इसके लिए यह आवश्यक है कि सिल्ट सफाई कार्यों की गुणवत्ता निर्धारित विभागीय मापदण्डों के अनुसार हो। नहरों की सिल्ट सफाई हेतु मुख्यालय स्तर से गठित विभागीय समितियों एवं उच्चाधिकारियों द्वारा समय-समय पर किए गये सिल्ट सफाई कार्य के निरीक्षण के दौरान ये तथ्य प्रकाश में आये है कि नहरों से निकाली गयी सिल्ट का डिस्पोजल ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा है एवं निकाली गई सिल्ट नहर के आन्तरिक भाग में ही छोड़ दी जाती है अथवा नहर बैंक पर ढेर के रूप में रख दी जाती है, जो पुन: नहर में ही गिर जाती है। निकाली गई सिल्ट का डिस्पोजल ठीक से नहीं होता है एवं ड्रेसिंग कार्य में भी सुधार की आपेक्षित आवश्यकता बनीं रहती है। नहरों की सिल्ट सफाई के कार्यों की गुणवत्ता में सुधार करने एवं कार्यों में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु निम्नवत निर्देशित किया जाता है:-

1. नहर का शीर्ष निस्सरण (डिस्चार्ज) 20 क्यूसेक या उससे कम है तो उसे अल्पिका की श्रेणी में माना जाये। यदि नहर का डिस्चार्ज 20 क्यूसेक से 500 क्यूसेक तक है तो उसे राजवाहा (Distributary) के श्रेणी में माना जाये।
2. विभागीय मद के अन्तर्गत सिल्ट सफाई का कार्यक्रम अनुमोदित कर प्रेषित किया जा चुका है। शेष समस्त अल्पिकाओ एवं आवश्यकतानुसार अन्य राजवाहो की सिल्ट सफाई मनरेगा के अन्तर्गत करायी जाए।
3. अल्पिकाओं में जहाँ तक सिल्ट हो वहाँ तक सिल्ट सफाई तथा शेष लम्बाई में स्क्रैपिंग कराई जाये, अर्थात अल्पिकाओं को पूरे लम्बाई में साफ किया जाये। स्क्रैपिंग इस तरह से कराई जाये कि नहर के डौले को लेते हुए नहर का पूरा आतरिक सेक्सन साफ हो जाये अर्थात आंतरिक भाग पर उगे हुए पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, कूड़ा-करकट इत्यादि ठीक प्रकार से साफ हो जाये। नहरों की सिल्ट सफाई झंडी(Flag) के साथ लाइन डोरी लगाकर इस प्रकार की जाये कि नहर का संरेखण (Alignment) एवं घुमाव (Curve)स्थापित रहे। पुलों के नीचे जमा सिल्ट भी विशेष ध्यान देकर साफ करा ली जाए। नहरों का आन्तरिक आकार (Shape),Trapezoidalरखना सुनिश्चित किया जाये।
4. निविदा प्रक्रिया द्वारा कम दरों के कारण हुई बचत की धनराशि से अतिरिक्त अल्पिकाओं की सफाई मुख्यालय को सूचित करते हुये करायी जायेगी तथा प्रगति में भी अंकित की जायेगी।
5. नहरों की सिल्ट सफाई/स्क्रैपिंग कराने के लिये नहरों की सूची बनाई जाये जिसमें जनपद, विकासखण्ड एवं विधानसभा का नाम हो, जिसमें नहर के आन्तरिक सेक्शन में करायी जाने वाली सिल्ट सफाई की लम्बाई/स्क्रैपिंग की लम्बाई दी गई हो। इस सूची को जिला स्तरीय समिति से अनुमोदित कराया जाये। इस सूची का व्यापक प्रचार प्रसार किया जायेजिससे सामान्य जनता/जनप्रतिनिधियों को पता रहे कि उसके क्षेत्र में किस नहर की, कितनी लम्बाई में सफाई कराई जा रही है जिससे कार्यों में पूरी पारदर्शिता बनी रहे एवं विभाग की छवि धूमिल न होने पाये। इस सूची को सम्बंधित क्षेत्र के माननीय जनप्रतिनिधियों को भी उपलब्ध कराया जाए तथा अक्टूबर माह के द्वितीय सप्ताह तक मुख्यालय पर भी उपलब्ध करा दिया जाये।

01/4

श्रीमती शालिनी, के.आ.
30/9/21
for SIBee 30/9/21

6. सिल्ट सफाई/स्क्रैपिंग के कार्यों के अंतिम परिणामअर्थात नहरों के टेल तक पानी पहुँचने को सुनिश्चित करने के लिये सिल्ट सफाई के कार्यों हेतु जारी की जा रही निविदा/कोटेशन एवं अनुबन्ध गठन में यह शर्त रखी जाए कि कराये जा रहेकार्यों/अनुबन्धित धनराशि के 10 प्रतिशत का भुगतान तभी किया जायेगा, जब उस नहर के टेल पर पानी पहुंच जाये (जलाशयों में जल उपलब्ध रहने पर)। इस आशय का प्रमाण पत्र ग्राम प्रधान अथवा 05 लाभान्वित कृषकों द्वारा प्राप्त कर लिया जाये। इसके अतिरिक्त् सम्बन्धित नहर के अन्तिम05कुलावों की सींच से भी टेल फीडिंग सत्यापित की जाये।
7. सिल्ट सफाई का कार्य कराने के लिये क्षेत्रीय स्थितियों को ध्यान में रखते हुये नहरों के इस तरह से लाट बनाये जाये जिससे कार्यों को समय से पूरा करवाने में कोई कठिनाई न आये। अनुबन्ध में "Debatable"क्लाज रखा जाये। यदि अनुबन्धित फर्म द्वारा समय से कार्य पूर्ण होता हुआ न दिखाई दे तो नियमानुसार अन्य एजेंसी से कार्य पूर्ण करा कर, फर्म के अनुबंध पर इसकी बुकिंग की जा सके। समस्त कार्य नियमानुसार ई-टेंडर के नियमों को ध्यान में रखते हुए ही किया जाये।
8. नहर के आंतरिक भाग में (साइड स्लोप एवं बर्म पर) मिट्टी/ सिल्ट न छोड़ी जाये,उसका संतोषजनक डिस्पोजल यथा डोला बनाने, बैंक को मजबूत करने में (उसके ऊपर ढेर बनाने में नहीं), नहर के सर्विस रोड के कट भरने, नहर के सर्विस रोड के बाहरी स्लोप पर डालते हुए सर्विस रोड की चौड़ाई पुनर्स्थापित करने में किया जाये। इसे नियंत्रित करने की लिये, सिल्ट सफाई के कार्यों हेतु जारी किये जा रहे निविदा/कोटेशन एवं अनुबन्ध गठन में यह शर्त रखी जाए कि कराये जा रहे कार्यों/अनुबन्धित धनराशि के 20 प्रतिशत का भुगतान तभी किया जायेगा जब ठेकेदारद्वारा इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर दिया जायेकि सिल्ट सफाई से निकाली गयी मिट्टी/सिल्ट नहर के आंतरिक भाग अथवा नहर के बैंक पर ढेर के रूप में नहीं पड़ी हुई है। इस प्रमाणपत्र को अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता द्वारा भी प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा। यदि बाद में विभागीय/जिलास्तर से गठित समितियों या उच्चाधिकारियों के निरीक्षण में नहर के आंतरिक भाग में मिट्टी/ सिल्ट पायी जायेगी तो उपरोक्त 20 प्रतिशत धनराशि को शासकीय क्षति मानते हुए उसकी वसूली प्रमुख अभियन्ता, परियोजना, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ के पत्र सं0-3766/परि0अनु0/लखनऊ दिनांक:04.07.2007 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में 50 प्रतिशत सम्बन्धित ठेकेदार से, 25 प्रतिशत सम्बन्धित अवर अभियन्ता से, 17.50 प्रतिशत सम्बन्धित सहायक अभियन्ता से एवं 7.50 प्रतिशत सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता से की जायेगी।
9. नहरों की सिल्ट सफाई की चेकिंग हेतु पूर्व में जारी शासनादेशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
10. सभी कार्यों को पारदर्शी ढंग से करते हुए सिल्ट सफाई के कार्य का समुचित अभिलेखीकरण (Proper Documentation)भी किया जायेगा। कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान तथा कार्य के पश्चात फोटोग्राफी इस प्रकार की जाये कि स्थल की जियोटैगिंग हो जाये तथा फोटोग्राफ में अक्षांश/देशान्तर के साथ नहर का नाम एवं जनपद का नाम अवश्य अंकित किया जाये। किये गये कार्यो का ड्रोन से सर्वे कराकर इस प्रकार वीडियो बनायी जाये कि कार्य के पूर्व में एवं कार्य के पश्चात दोनों स्थितियां साथ-साथ प्रदर्शित हों। बाद में नहर चलते हुए भी नहर के हेड का तथा टेल का फोटोग्राफ लेकर के रखा जाये, जिससे कराये गये कार्य का अंतिम परिणाम भी प्रदर्शित हो सके।
11. प्रत्येक नहरों के हेड पर या समीचीन स्थान (जहाँ लोगों का आवागमन हो) पर एक बोर्ड लगाया जायेगा, जिस पर खण्ड का नाम, नहर का नाम, सिल्ट सफाई की रींच, धनराशि सहायक अभियंता, अवर अभियंता एवं ठेकेदार का नाम व मोबाइल नं0 अंकित किया जायेगा।

12. प्रत्येक जनपद में सिंचाई विभाग का एक नोडल अधिकारी पहले से ही नामित है, सिल्ट सफाई हेतु वही अधिकारी नोडल माना जायेगा। जनपद का प्रत्येक अधिशासी अभियंता अपने-अपने नहरों का एलबम तैयार कर नोडल अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे और संबंधित नोडल अधिकारी उसकी एक काँपी मुख्यालय पर मुख्य अभियन्ता (अनुश्रवण एवं मूल्यांकन) को उपलब्ध करायेंगे।
13. नहरों के सेवा मार्ग से इतर दूसरे बैंक पर सिल्ट का डिस्पोजल करते समय उसकी समुचित ड्रेसिंग करते हुये समतल किया जाये ताकि वह बैंक भी पैदल व दुपहिया वाहन के आवागमन हेतु उपलब्ध रहे।
14. यदि किसी नहर पर ग्राम पंचायत अथवा क्षेत्र पंचायत द्वारा बैंक सुदृढ़ीकरण, सिल्ट सफाई इत्यादि के कार्य कराये जाने हेतु अनापत्ति मांगी जाती है, तो प्रस्वावित कार्य सिंचाई विभाग के पर्यवेक्षण में कराये जाने की शर्तो के साथ अनापत्ति दिये जाने पर विचार किया जाये।
15. सिल्ट सफाई से पूर्व खरीफ की सिंचाई के दौरान ही स्थायी आदेश सं0 02/2020 दिनांक 05.08.2020 के अनुसार नहरों की डिस्चार्ज मापी की जाये।
16. नहरों से निकाली गयी सिल्ट का उचित डिस्पोजल सुनिश्चित करने के लिये अल्पिकाओं हेतु **अवर अभियन्ता** एवं राजवाहों हेतु **सहायक अभियन्ता** व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगें तथा वे अपनी प्रत्येक माइनर/राजवाहा को निरीक्षण कर सिल्ट के समुचित डिस्पोजल कर दिये जाने का प्रमाण–पत्र भी उपलब्ध करायेगें।
17. प्रत्येक क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता नहरों की सिल्टसफाई से सम्बन्धित कार्यो की एक वीडियों एवं फोटो एलबम बनायेगें (डिजिटल एवं हार्ड काँपी दोनो में) और उसकी एक प्रति मुख्य अभियन्ता (अनुश्रवण एवं मूल्यांकन) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को भी उपलब्ध करवायेगें।
18. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा जारी स्थायी आदेश सं0-02/2020 दिनांक 05.08.2020 में दिये गये दिशा निर्देशों का भी पालन किया जाये।
19. राजवाहों/ अल्पिकाओं से निकाली गयी सिल्ट की विभागीय उपयोग के पश्चात अवशेष मात्रा यथा सम्भव नियमानुसार नीलाम कर राजस्व की प्राप्ति की जाये। नीलामी हेतु अतिरिक्त सिल्ट की मात्रा आकलित करते समय पूर्व के वर्षो की बैंकों/डौलो पर जमा अतिरिक्त सिल्ट की मात्रा भी शामिल कर ली जाये।
20. उपरोक्त आदेश रबी 1429, फसली (2021-22) एवं खरीफ 1430 फसली वर्ष 2022–23 हेतु ही जारी किये जा रहे हैं।

ह0

(वी0के0 निरंजन)

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

पत्रांकः 423 /अनु0 एवं मूल्यां0अनु0/अनिमं-5/सिंनिक/16–एस0एस0, तदिनांकः

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, जल शक्ति एवं बाढ नियंत्रण, उ0प्र0, लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, जल शक्ति विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, शासन बापू भवन, लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ।
4. प्रमुख अभियन्ता, परियोजना/परिकल्प एवं नियोजन/यांत्रिक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्क कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
5. मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) नियोजन/परिकल्प एवं शोध/मध्य/रूहेलखण्ड/पश्चिम/दक्षिण/विद्यांचल/पूर्व सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

03/4

6 मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), गंगा/यमुना/मध्यगंगा/पूर्वीगंगा/रामगंगा/शारदा/शारदा सहायक/गण्डक/सोन /बेतवा/बेतवा-परि0/सरयू-1/सरयू-2/अनु0एवं नियो0, बाढ़/अग्रिम नियोजन/जल संसाधन/ सूचना प्रणाली संगठन /पैक्ट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

7. अधीक्षण अभियन्ता (कम्प्यूटर केन्द्र) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग 30प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

8. मीडिया विशेषज्ञ पैक्ट सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग 30प्र0, लखनऊ।

29.9.21

(सेवा राम)

मुख्य अभियन्ता (अनु0 एवं मूल्यां0)

04/4